<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

ओमप्रकाश भाटी बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार लूणी)

सू.अ.अ. अपील संख्या 243/2019</td><td>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>13.01.20</td><td>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी ओमप्रकाश भाटी, पता डी–137, किर्तीनगर, पोस्ट कृषि उपज मंडी, मण्डोर, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.11.2019 में उसके द्वारा (1) कार्यालय तहसीलदार लूणी से बनाया गया ओ.बी.सी.प्रमाणपत्र क्रमांक पत्र सुगम/ओबीसी/19/2012 दिनांक 05.01.12 (दिनेश कुमार गहलोत पुत्र सन्तोकसिंह ग्राम सालावास) की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार लूणी) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</td><td></td></tr>
</table>